खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर (राजस्थान)

एफए. प्रकरण संख्या : 0007/2017

राजस्थान राज्य जरिए श्री हरिराम वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ (राज.)

––अपीलार्थी

विरूद्व

1. राजकुमार रामचंदानी पुत्रश्री नवल किशोर, सहायक प्रबंधक (गुण नियंत्रण) एवं नोमीनी मैसर्स श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सह. संघ लिमि. औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ जंक्शन जिला हनुमानगढ निवासी मकान नं. 27 सैक्टर नं09 विस्तार हनुमानगढ जंक्शन जिला हनुमानगढ

––नमूना विक्रेता

2. फर्म श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सह. संघ लिमि. औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ जंक्शन जिला हनुमानगढ द्वारा नोमेनी एवं सहायक प्रबंधक (गुण नियंत्रण) श्री राजकुमार रामचंदानी पुत्रश्री नवल किशोर

––निर्माता फर्म

उपस्थितः–

1. श्री वी.डी. गठाला राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री मयंक गुप्ता अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण

:: निर्णय :: दिनांक : 08.12.2017

1. यह अपील योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, हनुमानगढ के आदेश दिनांक 29.09.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जो उनके प्रकरण संख्या 39/2015 हरीराम वर्मा बनाम राजकुमार वगैरा में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद जो प्रत्यर्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया था, वह खारिज कर दिया गया।

2. प्रकरण के तथ्यों के अनुसार यह बताया गया है कि श्री हरीराम वर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हनुमानगढ ने दिनांक 05.02.2015 को मैसर्स श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सह. संघ लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र हनुमानगढ से 500एमएल. पाश्चुरीकृत स्टैण्डडारज्ड दूध (सरस) का सैम्पल जांच के लिए खरीद किया। बाद जांच सैम्पल मिसब्राण्ड पाया गया क्योंकि खाद्य सुरक्षा मानक (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) रेग्युलेशन 2011 जिसे बाद में रेग्युलेशन 2011 लिखा जायेगा के नियम 2.2(10) का उल्लंघन किया गया।

3. बाद आवश्यक स्वीकृति परिवाद सक्षम न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जिसने आलौच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का परिवाद अपास्त कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

4. अपील का मुख्य आधार यह लिया गया है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा रेग्युलेशन 2011 के नियम 2.2.10 का उल्लंघन किया गया है जिसका उल्लंघन न मानने में योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी ने तथ्यों एवं विधि की भूल की है।

5. प्रत्यर्थीगण की ओर से जवाब में यह बताया गया कि उनके द्वारा रेग्युलेशन 2011 के 2.2.10 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। थैली में बंद दूध 03 दिन की अवधि के लिए ही उपयोग योग्य रहता है। अतः पैकिंग निमार्ण की तिथि लिखना आवश्यक नहीं है। जवाब के दौरान यह भी एतराज लिया कि अपील अवधि बाद प्रस्तुत की है। अतः सुनवाई किए जाने योग्य नहीं है।

6. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। सुसंगत विधि का विवेचन किया।

7. अवधार्य बिन्दु :——

"आया योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रत्यर्थीगण को रेग्युलेशन 2011 के नियम 2.2.10 के उल्लंघन का दोषी नहीं मानने में तथ्यों एवं विधि की भूल की है?"

8. विनिश्चयः—— अपीलार्थी के हक में तय किया जाता है।

9. विनिश्चय के कारणः——

10. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) अधिनियम 2011 के रेगूलेशन 2.2.10 (2) के अनुसार In case of package or bottle containing sterilized or Ultra High Temperature treated milk, soya milk, flavoured milk, any package containing bread, dhokla, bhelpuri, pizza, doughnut, khoa, paneer, or any uncanned package of fruits, vegetable, meat, fish or any other like commodity, the declaration be made as follows:-

"BEST BEFORE…. DATE/MONTH/YEAR"

OR

"BEST BEFORE…..DATE FROM PACKAGING"
OR
"BEST BEFORE….DAYS FROM MANUFACTURE"

Note.-

(a) blanks be filled-up

(b) Month and year may be used in numerals

(c) Year may be given in two digits

पैकिंग के लेबल पर खाद्य पदार्थ की उपयोगिता की अवधि का अंकन इसी प्रकार होना चाहिए, अन्य किसी तरीके से नहीं। जहां तारीख का अंकन दिया जा रहा है वहां तारीख, माह एवं वर्ष भी लिखना आवश्यक है। स्वीकृत रूप से प्रत्यर्थीगण ने जो खाद्य पदार्थ दूध विक्रित किया उसमें पेकिंग पर लेबल इस प्रारूप में नहीं था, केवल दिनांक और माह ही लिखा था, वर्ष नहीं लिखा था। इसप्रकार प्रत्यर्थीगण रेग्युलेशन 2011 के नियम 2.2.10(2) के उल्लंघन के दोषी है। योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी ने इस बिन्दु पर जो निर्णय दिया है वह विधि सम्मत नहीं है। विधि के प्रावधानों का विधि सम्मत विवेचन न्याय निर्णायक अधिकारी के द्वारा नहीं किया गया है। अतः इस बिन्दु पर निर्णय अपास्त किया जाता है।

11. दिनांक 12.10.2017 को बहस सुनी गई थी तब प्रत्यर्थीगण को यह आदेश दिया गया था कि वर्तमान में जो पैकिंग प्रयुक्त की जा रही है, उसे पेश करें क्योंकि बहस के दौरान यह बताया गया था कि वर्तमान में प्रत्यर्थीगण के द्वारा रेग्युलेशन 2011 के नियम 2.2.10(2) की पालना की जा रही है।

12. आदेश की पालना में प्रत्यर्थीगण द्वारा वर्तमान में प्रयुक्त किया जा रहा पैकिंग प्रस्तुत किया जो रेग्युलेशन 2011 के नियम 2.2.10(10) के अनुसार है।

13. जहां तक अपील के अवधि में प्रस्तुत होने का प्रश्न है, इस अधिकरण ने दिनांक 01.03.2017 को कार्य करना शुरू किया है तथा यह अपील रजिस्ट्रार कार्यालय के समक्ष दिनांक 27.02.2017 को प्रस्तुत हुई तथा हमारे

समक्ष दिनांक 11.04.2017 को प्रस्तुत हो गई थी। जब यह अधिकरण की कार्यशील नहीं था तो अपील के लिए प्रावधानित अवधि कोई महत्व नहीं रखती। अपील अधिकरण के कार्यशील होने पर यह अपील प्रस्तुत हो चुकी है जिसे अवधि भीतर मानी जाती है।

:: आदेश ::

अतः अपील स्वीकार करते हुए आलौच्य आदेश जोकि प्रकरण संख्या 39/2015 हरीराम बनाम राजकुमार वगैरा में पारित किया गया अपास्त किया जाता है तथा प्रत्यर्थीगण सं.01 एवं 02 को खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) अधिनियम 2011 के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है। प्रत्यर्थी सं.01 राजकुमार रामचंदानी भविष्य में यह ध्यान रखेगा कि उसके द्वारा विक्रित किये जाने वाले दूध के पैकिंग पर काम लेने की तिथि, माह एवं वर्ष तीनों अंकित हो। प्रत्यर्थी सं.01 व 02 पर प्रतिकात्मक संयुक्त शास्ति 5,000 रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये) अधिरोपित की जाती है। निर्णय की एक प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित की जावे।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 08.12.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर